न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर,(डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. ओमजी भाई पुत्र बिसनलाल
   जाति ब्राहमण निवासी बोरावड़
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र बिसनलाल
   जाति ब्राहमण निवासी बोरावड़
3. रामजी भाई पुत्र बिसनलाल
   जाति ब्रहामण बोरावड़ तह. मकराना

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गुलाबी पुत्री बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
2. गिगाराम पुत्र बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
3. गीता देवी पुत्री बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
4. छोटुड़ी पुत्री बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
5. जगदीश पुत्र बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
6. पांची देवी पुत्री बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
7. मगनी पत्नि बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
8. राजूड़ी पुत्री बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
9. सुखाराम पुत्र बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
10. हेमाराम पुत्र बोदूराम जाट निवासी डारापुरा
11. मूलकी पत्नि बिरमाराम जाट निवासी डारापुरा
12. रामीदेवी पत्नि परमाराम जाट निवासी डारापुरा
13. चन्द्र कुमार पुत्र कुशालदास जाति सिंधी
    निवासी किशनगढ अजमेर
14. मनोज अहिलानी पुत्र कन्हैयालाल जाति सिंधी
    निवासी किशनगढ अजमेर
15. महेश अहिलानी पुत्र भोजराज जाति सिंधी
    निवासी किशनगढ अजमेर
16. पूसाराम पुत्र रामदीन जाति जाट नि. बोरावड़
17. भंवरी देवी पत्नि उगमाराम जा जाट नि.बोराावड
18. मानाराम पुत्र नन्दाराम जाति जाट नि. बोरावड़
19. शान्ति देवी देवाराम जाति जाट नि. बोरावड
20. सोनी देवी पत्नि श्रवणराम जाति जाट, बोरावड
21. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा सनेडिया
22. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गजराज चोहान अधिवक्ता वादी
मुकदमा नम्बर :– 2022/283

निर्णय दिनांक :– 13.08.2024

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चोहान ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम डारापुरा की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 10 रकबा 6.8974 हैक्टर, खसरा नम्बर 10/2 रकबा 1.7226 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 3.2400 हैक्टर कुल रकबा 11.8600 हैक्टर जमीन

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

स्थित है। उक्त जमीन में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिसमें वादी संख्या 1, वादी संख्या 2 व वादी संख्या 3 का क्रमशः 863/8895, 863/8895 व 863/8895 बराबर हिस्से की खातेदारी बनती है। जिनका उत्तर दिशा में संयुक्त रूप से हक व कब्जा है। वाद पत्र के साथ परिशिष्ट–क पेश किया है। वादीगण का परिशिष्ट के अनुसार खातेदारी बंट व हक हिस्सा है। चूंकि संयुक्त खातेदारी की जमीन में प्रत्येक खातेदार का जमीन के प्रत्येक इंच में हक हिस्सा होता है। इसलिए वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण परिशिष्ट–क के अनुसार बंटवारा करवाने की इस्तदुआ की है।

दावा वादी वकील द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस/ सम्मन जारी किए गए, तो प्रतिवादी संख्या 2,5,7,9,10,22 के व्यक्तिगत व प्रतिवादी 1,3,4,6,8,11,12,13,14,15 से 22 के सम्मन रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होने का बाद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व 2,5,7,9,10,22 स्वयं उपस्थित होने पर जवाब पेश नहीं किया न ही हाजिर हुए। उनके खिलाफ भी एक पक्षीय कार्यवाही कर वकील वादी को सुना गया तो वकील वादी द्वारा परिशिष्ट–क व परिशिष्ट–अ के अनुसार दावा निस्तारण किया जाना जाहिर किया।

हमने वकील वादी के कथन पर गौर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों जमांदी का अवलोकन किया गया तो वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है। सहखातेदार होने से वादी अपने हिस्से की भूमि का अलग से बंटवारा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना के हाजिर अदालत होकर अपने हकों की पैरवी नहीं करने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील वादी को सुना गया तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुए कथन किया की दावा बंटवारे का है। प्रतिवादीगण हाजीर नहीं हो रहें है। इसलिए दावे के साथ परिशिष्ट–क व परिशिष्ट–अ के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जाकर रिकार्ड में अमलदरामद करवाया जाए।

हमने वकील वादी के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रतिवादीगण बावजूद सूचना (रजिस्ट्रर्ड डाक) के हाजिर नहीं होकर अपने हितों की पैरवी नहीं कर रहे है। जिस कारण पत्रावली में संलग्न परिशिष्ट –क व परिशिष्ट–अ के अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है। परिशिष्ट–क व परिशिष्ट–अ को अपनी संतुष्टि के लिए मौक पर जाकर वादग्रस्त भूमि का मौका मुआयना किया गया तो दावे में संलग्न परिशिष्ट–क व परिशिष्ट–अ के अनुसार मौके पर सही होना पाये जाने से दावे में संलग्न परिशिष्ट–क व परिशिष्ट–अ के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

परिशिष्ट–क अनुसार व परिशिष्ट–अ दावा वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम डारापुरा की राजस्व जमीन के खसरा नम्बर 10 रकबा 6.8974, खसरा नम्बर 10/2 रकबा 1.7226, खसरा नम्बर 6 रकबा 3.2400 कुल रकबा 11.8600 जमीन का बंटवारा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स परिशिष्ट–क व परिशिष्ट–अ के अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। हिस्से पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर